न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. नीलेश पटेल पुत्र श्री भोला भाई पटेल, जाति- पटेल, मुकाम पोस्ट- पिलुदरा, तहसील एवं जिला- मेहसाणा (गुजरात) (विक्रेता एवं खाद्य काराबारकर्ता)

फर्मः- जय महाकाली डेयरी, रामसीन रोड, कालन्द्री, तहसील व जिला- सिरोही

प्रकरण संख्याः 05/2017

''अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006''

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री जयकिशन विश्नोई, प्रतिवादी अभियुक्त की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 31 मई, 2019

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 14.6.2016 को समय 9.40 ए.एम. पर फर्म जय महाकाली डेयरी, रामसीन रोड, कालन्द्री, तहसील व जिला- सिरोही पर पर पँहुचा। डेयरी पर विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति नीलेश पटेल पुत्र भोला भाई पटेल, जाति- पटेल, निवासी-पिलुदरा, तहसील व जिला- मेहसाणा (गुजरात) है एवं जय महाकाली डेयरी पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है जो आम जनता के उपयोग हेतु Mixed Milk को चिलिंग टैंक में स्टोर कर चिलिंग करके भिजवाता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु बिक्री किये जाने वाले खाद्य पदार्थ Mixed Milk के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर कर डेयरी के चिलिंग टेंक में मौजूद लगभग 6000 लीटर Mixed Milk को चिलिंग टेंक के Process को चालू कराकर एकरुप कराया एवं इस एक रुप किये गये Mixed Milk में से 2 लीटर Mixed Milk एक साफ सूखे खाली भिगोने में खरीदा एवं Mixed Milk की कीमत रुपये 66/- (अक्षरे रुपये छियासठ) अदा की तथा खरीद रसीद तैयार की, फार्म संख्या 5ए तैयार किया। खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैंनें भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। मूल नमूना खरीद रसीद व फार्म संख्या 5ए संलग्न हैं। आवेदक

.....पेजं दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान को चार साफ सूखी एवं खाली कांच की शीशीयां दिखाई एवं खरीद शुदा Mixed Milk को चार साफ सूखी व खाली शीशीयों में भरा एवं प्रत्येक शीशी में 40-40 बूंदे फार्मेलीन की डालकर शीशीयों को कॉर्क से एयर टाईट बन्द किया। तत्पश्चात् लेबल तैयार किये, जिन पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक, दिनांक, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ आदि का नाम अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्ष्ज्ञा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारो नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नं. S-605 को नियमानुसार चारो भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लीप को क्रोस करते हुए खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैंनें भी अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता नीलेश पटेल ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। फिर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नं. 6 की 8 प्रतियों तैयार कर उन पर खाद्य विश्लेषक का पता अंकित किया गया और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील्ड किया था। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति लगाकर नमूने के चारों भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा तथा फार्म संख्या 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग आउटर कवर में बंद कर गोंद से चिपकाई। नमूनें के चारो भागों एवं लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 15.6.2016 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 15.6.2016 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 का सील बन्द ल्फिाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्याय निर्णयन आवेदन के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ Mixed Milk की जांच रपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता नीलेश पटेल से जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Mixed Milk का नमूना S-605 अमानक स्तर (Sub-standard) पायां गया। जांच रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता नीलेश पटेल को भेजकर सूचित किया कि जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नही हो तो अपील आवेदन प्रारुप 8 में पत्र प्राप्ति के 30 दिवंस के अन्दर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को प्रस्तुत करे, लेकिन नीलेश पटेल ने दुबारा जांच का आवेदन प्रस्तुत नही किया। प्रकंरण से

.....पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

संबंधित असल मूल कागजात एवं अधिसूचनाओं की छाया प्रतियां अभियोजन स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को प्रस्तुत कर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) का खाद्य पदार्थ Mixed Milk का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 (**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्त को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री जयकिशन विश्नोई द्वारा उपस्थिति दी गई एवं प्रतिवादी अभियुक्त की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 14.6.2016 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मेरी फर्म जय महाकाली डेयरी, रामसीन रोड, कालन्द्री में खाद्य पदार्थ दूध लिया था, जो जांच में अमानक स्तर का बताया गया है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 24.6.2016 में मानक बिन्दु संख्या 2 की मात्रा न्यूनतम 8.5 प्रतिशत के स्थान 8.01 प्रतिशत बताई गई। इसके अलावा उक्त खाद्य पदार्थ दूध सभी मानकों के अनुरुप होना पाया गया। प्रतिवादी आस पास के गांवों से दूध क्रय कर बेचता है, प्रतिवादी ने अपनी ओर से उक्त खाद्य पदार्थ दूध में कोई मिलावट नही की है तथा न ही दूध स्वास्थ्य के लिये हानिकारक पाया गया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ दूध के नमूने का नमूनीकरण करने की कार्यवाही विधिवत रुप से नही की है तथा न ही जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादी को भिजवाई गई है। इसके कारण प्रतिवादी उक्त पदार्थ के नमूने की रेफरल लेब से जांच कराने के अधिकार से वंचित रहा है। प्रतिवादी द्वारा गांवों के लोगों से दूध क्रय कर विक्रय करता है। अतः प्रस्तुत आवेदन को खारिज किया जावे।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई दिनांक 27.5.2019 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में प्रतिवादी अभियुक्त के बहस सुनी गई। जिन्होनें बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 14.6.2016 को प्रतिवादी की फर्म जय महाकाली डेयरी, कालन्द्री से दूध का नमूना लिया था, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट में अमानक स्तर में पाया गया है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट के मानक बिन्दु संख्या- 2 ''Milk solids not fat'' की मात्रा न्यूनतम 8.5 प्रतिशत के स्थान पंर 8.01 प्रतिशत बताई गई, इसके आलवा अन्य सभी मानक बिन्दु निर्धारित गुणावत्ता पूर्ण बताये गये। उक्त दूध स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नही था तथा न ही प्रतिवादी ने दूध में कोई मिलावट की है। प्रतिवादी द्वारा गांवों से दूध एकत्रित कर आगे सप्लाई किया जाता है। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत आवेदन को खारिज किया जावे अथवा कम से कम जुर्माना आरोपित किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्याय निर्णयन आवेदन तथा न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं

.....पेज चार पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.6.2016 को समय 9.40 ए.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म जय महाकाली ड़ेयरी, रामसीन रोड, कालन्द्री, तहसील व जिला- सिरोही पर गये। उक्त डेयरी में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से नीलेश पटेल पुत्र श्री भोला भाई पटेल, जाति- पटेल, निवासी- पिलुदरा, तहसील व जिला- मेहसाणा उपस्थित मिले, जो आम जन के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ Mixed Milk को चिलिंग टैंक में स्टोर कर चिलिंग करके भिजवाता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त डेयरी के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु बिक्री किये जाने वाले खाद्य पदार्थ Mixed Milk के अमानक स्तर का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना कय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री नवल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकार, सिरोही एवं श्री पाबूसिंह पुत्र श्री भंवर सिंह, ग्राम पूनकखुर्द, पोस्ट पूनक कलां, तहसील- जसवन्तपुरा, जिला- जालोर के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता नीलेश पटेल को प्रपत्र संख्या 5ए में लिखित में दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने डेयरी के चिलिंग टैंक में मौजूद लगभग 6000 लीटर Mixed Milk को चिलिंग टैंक के Process को चालू कराकर एकरुप कराया एवं इस एक रुप किये गये Mixed Milk में से 2 लीटर Mixed Milk एक साफ सूखे खाली भिगोने में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 66/- (अक्षरे रुपये छियासठ मात्र) विक्रेता नीलेश पटेल को नकद अदा कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए व नमूना खरीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता नीलेश पटेल, उक्त गवाहों तथा आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों को साफ सूखी व खाली कांच की शीशीयां दिखाकर गवाहों एवं खाद्य कारोबारकर्ता नीलेश पटेल के समक्ष उक्त खरीद शुदा Mixed Milk को चारों शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक शीशी में फार्मेलीन की 40-40 बूंदे डाली तथा शीशीयों के ढ़क्कन को एयरटाईट बंद किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-605, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विकेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता नीलेश पटेल एवं उक्त गवाहों के हस्ताक्षर कराये तथा स्वयं आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूनों भागों को कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-605 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विकेता नीलेश पटेल व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द

.....पेज पांच पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता नीलेश पटेल, उक्त गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल, रसीद एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानंक अधिनियम, 2006 के तहत फर्म जय महाकाली डेयरी, रामसीन रोड, कालन्द्री, तहसील व जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता नीलेश पटेल से खाद्य पदार्थ Mixed Milk का नमूना जांच हेतु कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर सील चपडी किया। फार्म नम्बर 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफों में रखकर लिफाफों को सिल चपडी से सिल्ड किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 15.6.2016 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 15.6.2016 को नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ Mixed Milk का नमूना संख्या S-605 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./719/Act/2016/740 दिनांक 24.6.2016 के अनुसार आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म जय महाकाली डेयरी, रामसीन रोड, कालन्द्री में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता नीलेश पटेल से वास्ते नमूना जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ Mixed Milk का नमूना अमानक स्तर (Sub-standard) का होना पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य साबित है कि प्रतिवादी अभियुक्त नीलेश पटेल द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) खाद्य पदार्थ Mixed Milk का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि प्रकरण में प्रतिवादी नीलेश पटेल को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वस्थ्य अधिकारी, सिरोही. के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2016/3661-62 दिनांक 11.7.2016 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित कर सूचित किया गया है कि

......पेज छः पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

यदि जांच से संतुष्ट नही हो तो अपील आवेदन प्रारुप 8 में पत्र प्रासप्ति के 30 दिवस के अन्दर भिजवाये, लेकिन प्रतिवादी अभियुक्त ने रेफरल लेब से जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त नीलेश पटेल पुत्र श्री भोला भाई पटेल, जाति- पटेल, मुकाम पोस्ट- पिलुदरा, तहसील एवं जिला- मेहसाणा (गुजरात), खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म जय महाकाली डेयरी, रामसीन रोड, कालन्द्री, तहसील व जिला- सिरोही पर राशि रुपये 50,000/- (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी अभियुक्त नीलेश पटेल पुत्र श्री भोला भाई पटेल, जाति- पटेल, मुकाम पोस्ट- पिलुदरा, तहसील एवं जिला- मेहसाणा (गुजरात), खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म जय महाकाली डेयरी, रामसीन रोड, कालन्द्री, तहसील व जिला-सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही